



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072024-255755  
CG-DL-E-26072024-255755

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2831]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/ श्रावण 4, 1946

No. 2831]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/ SHRAVANA 4, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2024

का. आ. 2972 (अ.). – जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 1 अगस्त, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख से पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39), व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) और माल के भौगोलिक संकेतक (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) से संबंधित उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक कि वे क्रम संख्या क्रमशः 18, 30, 31 और उक्त अधिनियम की अनुसूची में उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित हैं, लागू होंगे।

[फा.सं. पी-2402/74/2024-आईपीआर-III]

हिमानी पाण्डे, अपर सचिव,

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department For Promotion of Industry and Internal Trade)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2024

**S.O 2972(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> August, 2024 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 18, 30, 31 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999) and the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (48 of 1999) respectively shall come into force.

[F.No. P-2402/74/2024-IPR-III]  
HIMANI PANDE, Addl. Secy.